

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1765/2012/जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी  
वृत-डी, जोधपुर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स श्रीराम डिजिटल फोटो लैब  
जनजोग चौराहा, सिन्धी कॉलोनी, जोधपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री एन.के.बैद  
उप राजकीय अभिभाषक  
श्री पी.एम.चौपडा  
अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से  
प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 28.04.2014

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-डी, जोधपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 5/सीएसटी/जेयूडी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 21.03.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी photo printing, lamination and editing का व्यवसाय करता है। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) के प्रावधानों के अन्तर्गत वह राज्य में पंजीकृत व्यवहारी है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन आवेदन में उसके द्वारा photo printing, lamination, editing & partly trading of camera film album का व्यवसाय होना बताया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने आलोच्य अवधि 2008-09 में अपने व्यवसाय के लिए कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय से एक सी फार्म क्रमांक 1837946 प्राप्त कर Digital Lab System की रु. 40,88,910/- में Noritsu Koki Co. LTD से केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत रियायती दर पर खरीद की है। आलोच्य अवधि का कर निर्धारण करते समय जानकारी में आया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा खरीद किये गये Digital Lab System का इन्द्राज उसके द्वारा केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त किये गये पंजीयन प्रमाण पत्र में प्रथमतः इन्द्राज नहीं है इसलिए उसके द्वारा अधिनियम की धारा 8 का लाभ अनुचित रूप से लिया गया है एवं द्वितीय, अधिनियम की धारा 8(3)(बी) के अनुक्रम में उसका उपयोग नहीं हुआ है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने

अधिनियम की धारा 10(बी) एवं 10(डी) का अपराध मानते हुए अधिनियम की धारा 8(2) के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत से आरोपणीय कर का 1.5गुणा अधिनियम की धारा 10 (ए) के अन्तर्गत शास्ति रु. 7,66,671/-आरोपित की। उक्त आरोपित शास्ति से क्षुब्ध होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने आरोपित शास्ति को अपास्त करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रियप्रेषित कर दिया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2012 से क्षुब्ध होकर राजस्व की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत स्वेच्छा से लिये गये पंजीयन प्रमाण पत्र उसके द्वारा अपने व्यवसाय के उपयोग हेतु क्रय किये गये Digital Lab System का पंजीयन प्रमाण पत्र में इन्द्राज नहीं है इसलिए प्रत्यर्थी व्यवहारी उक्त मशीन रियायती दर पर खरीदने का हकदार नहीं है अतः केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(2) में विक्रय माना जाकर आरोपणीय कर का डेढ गुना शास्ति आरोपित करने का प्रावधान है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रय की गई रु. 40,88,910/-की डिजीटल फोटो कलर लैब सिस्टम पर केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(2) में आरोपणीय कर 12.5 प्रतिशत का डेढ गुना अर्थात् 18.75 प्रतिशत की शास्ति रु. 7,66,671/-आरोपित की है,जो पूर्णतः विधिक है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इस आधार पर कि प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है कि कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.03.2011 पारित करने के पूर्व पंजीयन प्रमाण पत्र संशोधन हेतु दिनांक 28.02.2011 को आवेदन कर दिया था,इसलिए उसका पहले निर्णय करने के पश्चात कर निर्धारण आदेश पारित करना चाहिए था। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी का प्रकरण प्रतिप्रेषित करने का आदेश अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 28.2.2011 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था,जिसका निस्तारण उन्हें विधि के अनुसर 30 दिन के भीतर करना चाहिए था परन्तु उन्होंने ऐसा ही कर, आलोच्य अवधि का कर निर्धारण दिनांक 25.3.2011 को पारित कर शास्ति रु. 7,66,671/-की शास्ति आरोपित की है,जो अविधिक है। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 10(ए) के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण केवल मैकेनिकल न होकर धारा 10 में किए गए प्रावधानों के अधीन दोषी (guilty)होने पर शास्ति आरोपित की जा सकती है। उनका कथन है

कि कर निर्धारण अधिकारी ने केन्द्रीय अधिनियम की धारा 10 (ए) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करने के दो आधार लिए गए हैं, जिसमें केन्द्रीय अधिनियम की धारा 10 (बी) एवं 10(डी) का कृत्य है। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 10 (बी) के अधीन तभी कार्यवाही की जा सकती है जब उसके द्वारा खरीद के समय मिथ्या कथन किया गया हो, परन्तु उसके द्वारा कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है, क्योंकि केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन आवेदन में photo printing, lamination and editing बताया हुआ है एवं इसी कार्य के लिए मशीन का क्रय किया गया है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 10 (डी) के सम्बन्ध में अपराध कारित होने के आरोप के सम्बन्ध में कथन किया कि उनके द्वारा फोटोग्राफी के बाद Developing हेतु इस मशीन का उपयोग किया जाता है, जो Processing of Goods की परिभाषा में सम्मिलित है तथा इसी उद्देश्य से इस मशीन को क्रय किया गया है।

उनका कथन है कि पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 28.02.2011 को प्रस्तुत किया गया था तथा शास्ति आदेश दिनांक 25.3.2011 को पारित किया गया है एवं अपील निर्णय दिनांक 21.3.2011 को किया गया है। अधिनियम की धारा 16(1) सपष्टित केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत पंजीयन अधिकारी द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र का निस्तारण आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस में निर्णय किये जाने का प्रावधान नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। समयावधि समाप्त होने के पश्चात आवेदन पत्र स्वतः ही स्वीकृत माना जाएगा तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में दर्शाये गये संशोधन को विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया जाना यथावत माना जाएगा। कर दायी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र की समय सीमा दिनांक 27.3.2011 को पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी photo printing, lamination and editing का व्यवसाय करता है। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) के प्रावधनों के अन्तर्गत वह राज्य में पंजीकृत व्यवहारी है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन आवेदन में उसके द्वारा photo printing, lamination, editing & partly trading of camera film album का व्यवसाय होना बताया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने आलोच्य अवधि

2008-09 में अपने व्यवसाय के लिए कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय से एक सी फार्म क्रमांक 1837946 प्राप्त कर Digital Lab System की रु. 40,88,910/- में Noritsu Koki Co. LTD से केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत रियायती दर पर खरीद की है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि का कर निर्धारण पारित करते समय जानकारी में आया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा खरीद किये गये Digital Lab System का इन्द्राज उसके द्वारा केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त किये गये पंजीयन प्रमाण पत्र में प्रथमतः इन्द्राज नहीं है इसलिए उसके द्वारा अधिनियम की धारा 8 का लाभ अनुचित रूप से लिया गया है एवं द्वितीय, अधिनियम की धारा 8(3)(1)(बी) के अनुक्रम में उसका उपयोग नहीं हुआ है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 10(बी) एवं 10(डी) का अपराध मानते हुए अधिनियम की धारा 8(2) के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत से आरोपणीय कर का 1.5 गुण अधिनियम की धारा 10 (ए) के अन्तर्गत शास्ति रु. 7,66,671/-आरोपित की है।

रेकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र में प्रविष्टियाँ किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 3.5.2011 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी के हस्ताक्षर उपलब्ध है। राजस्थान मूल्य परविर्धित कर नियम के नियम 16(1) सपष्टित केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत वैट-05 प्रस्तुत करने पर उक्त धारा के अन्तर्गत कर निर्धारण (पंजीयन अधिकारी) द्वारा कार्यवाही करने का प्रावधान किया गया है, जो निम्न प्रकार है:-

#### **16. Amendment and cancellation of registration certificate.-**

(1) The authority competent to grant registration or the authorized officer, on receipt of an application in Form VAT-05 filed within the time provided in sub-section (1) of section 16 by the dealer for amendment in certificate of registration, shall after due enquiry, amend the certificate of registration within thirty days of receipt of such application and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted.

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वैट वैट-05 कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं केन्द्रीय अन्तर्गत के जारी पंजीयन प्रमाण पत्र में प्रविष्टियाँ करने हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी को उक्त नियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के पश्चात कर निर्धारण आदेश पारित करना चाहिए था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ऐसा नहीं किया गया है। इन्हीं तथ्यों को मध्य पजर रखते हुए

अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत विवेचन करने के पश्चात निम्न निष्कर्ष दिया है :-


“.....आदेश की कार्यवाही के पूर्व अपीलार्थी द्वारा दिनांक 28.2.2011 को पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन हेतु आवेदन कर दिया था। निर्धारण अधिकारी द्वारा संशोधन आवेदन के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिए बिना यही आदेश पारित कर दिया गया है। इसी तरह धारा 10 (डी) के reasonable excuse के सम्बन्ध में भी किसी तरह का निर्णय निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं लिया गया है कि फोटोग्राफी मशीन का उपयोग Processing of goods for sale के मामले में उपयोग किया गया है अथवा नहीं ?”

“इस तरह अपीलार्थी के इस अनुरोध को स्वीकार किया जाता है कि कर निर्धारण अधिकारी सर्वप्रथम पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन सम्बन्धी आवेदन का निस्तारण करें तथा इस मामले में सुनवाई कर इस निर्णय पर पहुँचे कि क्या धारा 10 (डी) के प्रावधानानुसार बिना किसी reasonable excuse के मशीन का उपयोग धारा 8(3)(बी) के अनुसार हुआ। मशीन का उपयोग Processing of goods for sale के लिए माना जाने की स्थिति में धारा 10 (डी) का दोष सिद्ध माना नहीं जायेगा।”

“अतः प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि धारा 10(बी) एवं 10 (डी) दोष सिद्धी के पूर्व उनके संशोधन आवेदन का निस्तारण करें तथा 10 (डी) के सम्बन्ध में reasonable excuse पर तथा धारा 8(3)(बी) अनुसार उपयोग होने सम्बन्धी तर्क विचार कर निर्णय करें तत्पश्चात ही धारा 10 (ए) के प्रावधान अनुसार यदि शास्ति आरोपण योग्य हो तो उचित आदेश पारित करें।”

अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों पर विस्तृत विवेचन करने के पश्चात उपरोक्त निष्कर्ष दिया है। बहस के समय राजस्व की ओर से कोई ऐसा दस्तावेजीय साक्ष्य अथवा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अपीलीय अधिकारी द्वारा अवधारित उपरोक्त निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2012 को यथावत रखते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(सुनील शर्मा)  
सदस्य